20रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सीधी निग – 3128 – II / 16

सुशील कुमार पुत्र श्री चन्द्रभानराम तिवारी
निवासी– ग्राम मिसिरगंवा तहसील गोपदवनास जिला – सीधी (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

पारसनाथ पुत्र श्री रंगनाथ राम ब्राहम्ण
निवासी– ग्राक खैरही (कोठार) तहसील गोपदवनास जिला – सीधी (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोपदवनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 596/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आराजी खसरा क्रमांक 432, 434 स्थिर ग्राम कोठार के भूमि स्वामी अनावेदक के सगे भाई राजमणि राम के सहभूमि स्वामित्व की भूमि थीं जिसे अनावेदक एवं उसके भाई राजमणि राम ने आवेदक सुशील कुमार को बदले में दे दीं थीं। और शिवानंद तिवारी एवं रामायण प्रसाद ने उसके बदले में आराजी खसरा क्रमांक 405/2 एवं 405/3 रकवा 1.00 है0 बदले में पारसनाथ एवं राजमणि राम को दिया था। और उसी आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदक एवं राजमणि राम के बयान, रजामंदी के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया था। इस संबंध में अनावेदक की पूर्ण सहमति थी आवेदक द्वारा अनावेदक को आराजी नं. 546 रकवा 1.00 है0 शिवानंद रामायण प्रसाद को बदले में दिया था इस प्रकार अदला बदली त्रिपक्षीय हुयी थीं।

2– यहकि, ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण स्वीकार किये जाने के पूर्व अनावेदक एवं उसके भाई राजमणि राम को विधिवत् सूचना पत्र दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया था। और अनावेदक तथा राजमणि राम दोनो ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3128—एक/2016 जिला सीधी

सुशील कुमार विरूद्ध पारसनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05—3—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदवनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 596/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 31—8—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 02—5—2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	